पत्रांक :– 01/स्था॰–01–19/2002 –

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

दिनेश उपाध्याय,
सरकार के उप सचिव (प्र॰)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

फैक्स / स्पीड पोस्ट से

राँची, दिनांक :–

विषयः–झारखण्ड भा॰प्र॰से॰ संवर्ग में चयन वर्ष 2014 (01.01.2013 से 31.12.2013 की रिक्ति) के लिए दो निर्धारित रिक्ति के विरूद्ध गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भा॰प्र॰से॰ में नियुक्ति हेतु योग्य पदाधिकारियों की सूची संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–3915 दिनांक 30.04.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संलग्न करते हुए कहना है कि संलग्न पत्र की कंडिका–01 के अनुरूप योग्यताधारी पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न प्रपत्र में देते हुए जरूरी कागजात के साथ दिनांक 12.05.2014 तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अपेक्षित प्रतिवेदन भेजा जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु॰–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक–3915 दिनांक 30.04.14

विश्वासभाजन,

ह॰/–
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

ज्ञापांक :– 5508 राँची, दिनांक :– 8-5-14

प्रतिलिपिः–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.5.14

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव(प्र॰)।

D:\PRAMOD-III\DY.SEC\DRAFT-14\MAY\M.I. Ranchi.doc

पत्रांक–1 / सी0–205 / 2014 का०– 3915

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

J.S(M)

Pl. discuss immediately

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।

2/5/14

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, रांची

निबंधक, उच्च न्यायालय, रांची।

(गृह विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग को छोड़कर)

2039

02.5.14

US-I

आज ही संचिका में Put up करें।

रॉंची, दिनांक 30/4/14

विषय : झारखण्ड भा.प्र.से. संवर्ग में चयन वर्ष 2014 (01.01.2013 से 31.12.2013 की रिक्ति) के लिए दो निर्धारित रिक्ति के विरूद्ध गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि भा.प्र.से. (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) एवं भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी नहीं है, जो उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों, दिनांक 01 जनवरी, 2014 को 54 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हों तथा अधिष्ठायी हैसियत से राजपत्रित पद, अपुनरीक्षित वेतनमान 8000–13500 जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 15600–39100 / –, पे.बैंड–3, ग्रेड पे–5400 / – तथा उच्चतर वेतनमान में लगातार आठ वर्षों तक कार्यरत हों, तथा वह पद राज्य प्रशासनिक सेवा के समतुल्य घोषित हो, विशेष परिस्थिति में भा.प्र.से. में नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं।

श्री रामचन्द्र कृपया आज ही 5/5/14

2. अनुरोध है कि विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे राजपत्रित पदाधिकारियों की योग्यता के आधार पर अधिकतम दो पदाधिकारी का चुनाव कर निम्नलिखित शर्त्त, बंधेज एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए दिनांक 20.05.2014 तक आवश्यक कागजातों सहित निश्चित रूप से भेजने की कृपा की जाय।

(i) प्रत्येक विभाग एक चयन समिति गठित करेंगे, जिसके अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव / सचिव होंगे, तथा उनके अतिरिक्त समिति के अन्य दो सदस्य रहेंगे, जिसमें से एक विभागीय प्रधान सचिव / सचिव द्वारा मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के पदाधिकारी होंगे, तथा दूसरे विभागान्तर्गत कोई विभागाध्यक्ष होंगे, यदि कोई हो तो, अन्यथा विभाग के ही कोई अन्य वरीय पदाधिकारी होंगे।

2252

5-5-14

Letters

(ii) संलग्न बायोडाटा में अन्य सूचनाओं सहित पदाधिकारी की जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में) सम्पुष्टि की तिथि, वर्तमान पद का नाम तथा वेतनमान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के यदि हों, तो स्पष्टतः अंकित किया जाय।

(प्रपत्र 'क' संलग्न)।

(iii) अनुशंसित पदाधिकारी अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण के हों तथा उनके विरूद्ध कोई प्रथम द्रष्टव्या आरोप प्रमाणित नहीं हो। उनके विरूद्ध विभागीय आरोप, निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं लोकायुक्त के कार्यालय में मामला लम्बित नहीं रहने का प्रमाण पत्र भी भेजा जाय, ताकि पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र स्वीकारना उचित हो।

(प्रपत्र 'ख' एवं 'ग' में सूचना सहित)।

(iv) अनुशंसित पदाधिकारी की विगत 10 वर्षों की पूर्ण अद्यतन चारित्रियाँ भेजी जाय, अर्थात यह संतुष्ट हो लिया जाय कि गोपनीय अभ्युक्तियाँ सही रूप से प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा अभिलेखित हो।

(प्रपत्र 'घ' में सूचना सहित)।

(v) पदाधिकारियों का सेवा इतिहास विहित प्रपत्र में स्पष्टतः भेजा जाय।

(प्रपत्र 'ड०' में सूचना सहित)।

3. पूर्व में अनुशंसित पदाधिकारियों को जबतक भा.प्र.से. में चयनित नहीं होते हैं, पुनः अनुशंसित करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उन्हें अपेक्षित पात्रता एवं योग्यता हो।

4. इस विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.05.2014 है। यदि उक्त तिथि तक अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको कोई अनुशंसा नहीं करनी है तथा उक्त तिथि के बाद प्राप्त अनुशंसा विचारणीय नहीं होगा।

5. अनुरोध है कि अपने विभाग से अधिकतम दो उत्कृष्ट पदाधिकारियों की अनुशंसा उक्त निर्धारित तिथि तक भेजने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र 'क'

Annexure 34 [illegible]

Bio-Data of Non SCS Officers

1. Name of Officers :-
2. Date of Birth :-
3. Educational Qualification :-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC
5. Date of confirmation in Gazetted posts :-
6. Present Post held :-
7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service :-

   (ii) Name of the Post :-

   (iii) Whether holding that post substantively and the date since when :-
8. Details of Gazetted posts held :-

S.No.	Name of the Posts held	Category of posts	Period	Scale of Pay	Duties (in brief)

9. Achievements in Brief (including publications if any) :-
10. Training undergone :-

459

ANNEXURE 4 I

(A) Details of disciplinary proceedings pending against eligible officers.

S.No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of issue of charge sheet to the officers	Brief facts and Nature of Charges	Present Status
1	2	3	4	5

Note :- No disciplinary proceeding is pending against any eligible officer.

(B) Details of Criminal proceedings pending against eligible officers.

S.No	Name of the Officers (S/Shri)	Date of filing of charge sheet before the Court	Brief facts and Nature of Charges	Present Status
1	2	3	4	5

Note- .No criminal proceeding is pending against any eligible officer.

[illegible]

Annexure 4.2

DETAILS OF PENALTIES IMPOSED ON ELIGIBLE OFFICERS DURING THE LAST 10 YEARS

S. N.	Name of Officer(s) (S/Shri)	Year in which offence is committed	Date of issue of Charge sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of Currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over.	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay/stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Annexure -6

Certificates regarding communication of Adverse remarks in respect of eligible officers

(i) Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

(ii) Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

(iii) Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name ((S.Shri)	Period

Note : No adverse remarks has been reported against any eligible officers.

456

प्रपत्र–'ङ०'

PERFORMA

Statements showing the particulars of Non-State Civil Service Officers whose cases are proposed to be considered for appointment to I.A.S. (appointment by selection) Regulation, 1997.

Sl.No.	Name	Date of Birth	Date of continuous appointment to a gazetted post involving duties comparable in importance and responsibilities to that of the State Civil Service. The Designation & pay Scale & Classification Class 9 or Class 99 of the gazetted post & the period during which the post were held may also be indicated	Date of confirmation in a gazetted post involving duties comparable in importance & responsibility to that of the State Civil Service. The designation & pay scale of the post indicated.
1	2	3	4	5